

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।
पत्रांक 1289/14-10 (सुलतानपुर) दिनांक, अयोध्या, 29 अक्टूबर /2020।
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विशय:- जनपद सुलतानपुर में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड-कूरेभार के वल्लीपुर जोन-2 ग्राम-रतनपुर, तहसील-सदर में पेयजल पाईप लाइन बिछाने हेतु 0.1095 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 0.01095 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 0.01245 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 0.12195 हे० वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक- 578/11सी- FP/UP/Water/39692/2019, लखनऊ दिनांक-14.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, सुलतानपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक 1685/14-10, दिनांक 29-10-2020 द्वारा उक्त प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों/कमियों का बिन्दुवारा निराकरण कर संशोधित अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है। आपत्तियों के निराकरण का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	आपत्तियाँ/कमियों का विवरण	आपत्तियाँ/कमियों का निराकरण
1	प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का मूल्य 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता जो प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न नहीं है। अतः संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उ०प्र०/भारत सरकार द्वारा जो भी प्रीमियम एवं लीज रेंट की धनराशि निर्धारित की जायेगी, उसे जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता है।" (प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-60) पर संलग्न है।
2	प्रस्ताव में प्रभावित 0.1095 हे० आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु समतुल्य गैर वनभूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने की वचनबद्धता/विवरण खतौनी आदि संलग्न नहीं हैं।	प्रस्ताव में 0.1095 हे० आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु समतुल्य गैर वनभूमि, ग्राम-निजामपट्टी परगना- बरौसा, तहसील- सदर, जिला- सुलतानपुर में वन विभाग को उपलब्ध करायी गयी है, जिसकी खतौनी संलग्न हैं। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-61-68) पर संलग्न है।
3	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दी जाने वाली गैर वनभूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक वी०आई०पी०- 23/14-2-2019-190 जी/ 2018 दिनांक 28.06.2019 के उपजिलाधिकारी/ वन बंदोबस्त अधिकारी एवं प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक वी०आई०पी०- 23/14-2-2019-190 जी/ 2018 दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी एवं प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र संलग्न है। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-69) पर संलग्न है।
4.	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक- 343/11-सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में वन संरक्षक/ प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के कार्यालय का पत्रांक- 343/11-सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में प्रभागीय निदेशक एवं प्रयोक्ता एजेंसी का वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न है। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-69) पर संलग्न है।

क्रमशः.....2 पर

(2)

5	<p>प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि के बदले 0.1095 हे० अवनत वनभूमि एवं प्रभावित 0.01245 हे० संरक्षित वनभूमि के दुगुने अर्थात् 0.0249 हे० अवनत वनभूमि (कुल 0.1344 हे०) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न किया गया है जोकि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि पर एवं संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगुने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित अलग-अलग विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें तथा कुल धनराशि ऑनलाइन भाग-2 में फीड करें।</p>	<p>प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि 0.1095 हे० के बदले समतुल्य गैर वनभूमि (निजामपट्टी ग्रामसमाज) एवं संरक्षित वनभूमि 0.01245 हे० के दुगुने 0.0249 हे०- (सिंघनी वनब्लाक) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है व ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-30-37) पर संलग्न है।</p>
6	<p>क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का Geo Rferenced Digital Map संलग्न किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि एवं संरक्षित वनभूमि के दुगुने अवनत वनभूमि का Geo Rferenced Digital Map संलग्न कर तदानुसार ऑनलाइन भाग-2 फीड करें।</p>	<p>क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित आरक्षित वनभूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि (निजामपट्टी ग्राम समाज) व संरक्षित वनभूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (सिंघनी वनब्लाक) का Geo Rferenced Digital Map संलग्न हैं तथा ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-39 व 41) पर संलग्न है।</p>
7	<p>क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का Sol Toposheet संलग्न किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि एवं संरक्षित वनभूमि के दुगुने अवनत वनभूमि का Sol Toposheet संलग्न कर तदानुसार ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।</p>	<p>क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित आरक्षित वनभूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि (निजामपट्टी ग्रामसमाज) एवं संरक्षित वनभूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (वनब्लाक) का Sol Toposheet संलग्न कर दिया गया है तथा ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-40 व 42) पर संलग्न है।</p>
8	<p>प्रस्ताव में उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न है, किन्तु अपूर्ण है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि एवं संरक्षित वनभूमि के दुगुने अवनत वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर तदानुसार ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।</p>	<p>क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि (निजामपट्टी ग्राम समाज) एवं संरक्षित वनभूमि (सिंघनी वनब्लाक) का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया गया है व ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-43) पर संलग्न है।</p>
9	<p>प्रस्ताव में एन०पी०वी० की गणना संलग्न हैं। किन्तु भारत सरकार की एन०पी०वी० की गाइडलाइन की गाइड लाइन दिनांक 05.02.2009 के अनुसार नहीं है। भारत सरकार की गाइडलाइन में 1 हे० से कम वनभूमि प्रभावित होने एवं 4" Diameter की पेयजल पाइप विछाये जाने की स्थिति में एन०पी०वी० की छूट हैं। अतः यह स्पष्ट करें कि प्रकरण में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कितनी Diameter की पाइप लाइन बिछानी है। प्रकरण में एन०पी०वी० की देयता की स्थिति में एन०पी०वी० की गणना हरियाली घनत्व इको क्लास के अनुसार संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।</p>	<p>प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 5" Diameter की पाइप लाइन बिछायी जानी है। जिसका प्रमाण-पत्र संलग्न हैं। अतः एन०पी०वी० की गणना हरियाली घनत्व इको क्लास के अनुसार संलग्न हैं तथा ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-50 व 51) पर संलग्न है।</p>

क्रमशः.....3 पर

(3)

10	प्रस्ताव में रेलवे विभाग की एन0ओ0सी0 उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, जोकि स्वीकार्य नहीं है। अतः रेलवे विभाग की एन0ओ0सी0 संलग्न करें।	रेलवे विभाग की एन0ओ0सी0 संलग्न कर दी गयी है। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-71) पर संलग्न है।
11	वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी की मोहर नहीं लगी है। अतः जिलाधिकारी की मोहर युक्त प्रमाण-पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान अपलोड करें।	जिलाधिकारी की मोहर युक्त FRA प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है व ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गा है। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-44) पर संलग्न है।
12	ऑनलाइन भाग-1 व हार्डकापी भाग-1 में परियोजना की लागत भिन्न-भिन्न अंकित है। अतः एक समान सहित परियोजना की लागत अंकित करें।	ऑनलाइन भाग-1 व हार्डकापी भाग-1 में परियोजना की लागत प्रस्तावक विभाग द्वारा एक समान फीड कर दिया गया है।
13	ऑनलाइन भाग-2, हार्डकापी भाग-2 एवं एन0पी0वी0 की गणना में हरियाली घनत्व भिन्न-भिन्न अंकित है। अतः एक समान सही हरियाली घनत्व अंकित करें।	ऑनलाइन भाग-2, हार्डकापी भाग-2 एवं एन0पी0वी0 की गणना में हरियाली घनत्व एक समान फीड कर दिया गया है।
14	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक 6 व 7 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक 6 व 7 में संशोधित डाटा फीड कर दिया गया है।
15	प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि के साथ समतुल्य गैर वनभूमि एवं दुगुने अवनत वनभूमि के के0एम0एल0 फाइल की सीडी प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्तावित वनभूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि एवं दुगुने अवनत वनभूमि के के0एम0एल0 फाइल की सीडी संलग्न कर दी गयी हैं।
16	उपरोक्त कमियों को दूर कर त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन भाग-2 से डिलिट कर संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	संशोधित प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है तथा ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, सुलतानपुर द्वारा उपलब्ध कराया गये अभिलेख 03 प्रतियों में संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

सुबदीय,
29/10/20

(डा0 अनिरुद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सा0 वा0 ,सरयू क्षेत्र,अयोध्या।

पू0सं0 / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग सुलतानपुर को को उनके कार्यालय पत्रांक 1685/14-10, दिनांक 29-10-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय, तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न होने दें।

(डा0 अनिरुद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सा0 वा0 ,सरयू क्षेत्र,अयोध्या।